

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री हेमन्त गर्ग, व्याख्याता अर्थशास्त्र, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोसेलाव, सुमेरपुर जिला पाली जिनकी जन्मतिथि 12.12.1973 है, का निधन दिनांक 28.10.2018 को होने व स्थानीय निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र (08118006040038200040/2018) के आधार पर हेमन्त गर्ग, व्याख्याता अर्थशास्त्र की सेवाएं दिनांक 28.10.2018 से समाप्त की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री हेमन्त गर्ग, व्याख्याता अर्थशास्त्र, राउमावि कोसेलाव, सुमेरपुर जिला पाली के विरुद्ध आज तक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम — 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम — 1958 के नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कि कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/सी-5/अर्थशास्त्र/सेवासमाप्ति/2017 दिनांक: - 01/01/19
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ———
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..
5. प्रधानाचार्य राउमावि कोसेलाव, सुमेरपुर जिला पाली।
6. संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री हेमन्त गर्ग।
7. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर